जज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

उ...कार बनाम सचिव महर्षि दयानंद सरस्वती महाविद्यालय

... मुकदमा– 225 राज0 काश्त0 अधि0 प्रकरण संख्या 270/2022

अपील खारिज 15/9/2022

श्री सुमित जैन

15-09-2022	यह अपील श्री सुमित जैन एडवोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर के आदेश दिनांक 26.07.2022, प्रकरण संख्या 30/2018 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के क्षेत्राधिकार पर अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के द्वारा दिनांक 22.01.2019 को दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में में खारिज कर दिया गया जिसकी विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में बाजदायरी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, उक्त प्रार्थना–पत्र को भी अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.07.2022 को अदम हाजरी एव अदम पैरवी में खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलांट यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। उक्त आदेश की अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर